अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग
सं0–3 / वि0प0प्र0(तारां0)–25–01 / 2013

565

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 14.03.2013

विषय :– **आवासीय विद्यालय की निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र में अंकित अनु0 जाति के नाम में संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों से संबंधित पुस्तिका सं0–4 के पृ0 13–14 पर आवासीय विद्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र के कमांक–10 पर अनुसूचित जाति की सूची अंकित है, जिसमें हाडी तथा पासवान जाति का उल्लेख किया गया है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0–225 दिनांक–16.1.2007 में अनुसूचित जाति की सूची के कमांक–11 पर "दुसाध, धारी, धरही " तथा कमांक–14 पर "हाडी, मेहतर, भंगी" अंकित किया गया है।

तदनुरुप, आवासीय विद्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र के कमांक–10 अनुसूचित जाति की सूची में हाडी के साथ महेतर, भंगी तथा "पासवान" के स्थान पर "दुसाध, धारी, धरही" जोड़ा जाय।

पुस्तिका सं0–4 के अन्य बातें यथावत रहेगी।

14/3/13

विश्वासभाजन,
14.3.13
निदेशक।